

Online
2025/629

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/4141

दिनांक 03/12/2025

उपवानी प्रकरण - गोविंदप्राप्त बनाम भूमिगर्भी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 270/2025

-: दुरुरती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त निषेधात्मक लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक
.....18...../भू.अ./2025 दिनांक 04/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत गिजवाये गये राजस्व ग्राम गोविंदपुर पटवारी हल्का हल्का
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नं. भू.गै. खाता संख्या 123 में खातेदार गोविंदप्राप्त
गोविंदप्राप्त के स्थान पर गोविंदप्राप्त का
नाम दुरुरत किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का हल्का
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुरती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को गिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 03/12/2025

कमांक/रीडर/2025/4142-43
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का हल्का तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)


270
10-10-25

2025/629

आदेश (शिविर स्थान-)

दिनांक-)

जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का- दौलतपुरा टाकीदेहा जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख
निरिक्षक वृत्त- शाइली जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर तथा संलग्न दस्तावेज-
आधार-कार्ड, पहचान-पत्र, राशन-कार्ड के (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 136 के अन्तर्गत) राजस्व
ग्राम- दौलतपुरा के खाता संख्या- 123 में प्रार्थी का
नाम मदन दास पुत्र जयराम दास जाति ब्राह्मण के स्थान पर
मदन लाल पुत्र जयराम दास जाति ब्राह्मण दर्ज कर दुरुस्त
किया जाता है।


उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला:- सीकर

क्रमांक -

दिनांक-

-:दुरुस्ति का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

शिविर:- दिनांक:- को (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,
1956 की धारा:- 136 के अन्तर्गत) राजस्व ग्राम:- पटवार हल्का:-
.....तहसील:- श्रीमाधोपुर के खाता संख्या:-
.....में खातेदार पुत्र
..... का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का:-
.....उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ति कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करे।

उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर

क्रमांक -

संलग्न - दुरुस्ति आदेश

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, श्रीमाधोपुर को सूचनार्थ
2. भू-अभिलेख निरिक्षक वृत्त:-..... को पालनार्थ
3. पटवारी हल्का- को पालनार्थ